

(भाग-5)

15
①

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिक अधिकारी को अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18	राज्य सरकार की सिफारिशें (उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय।	Recommended for approval.
----	--	------------------------------

दिनांक :- 29.0.2017

स्थान :-

हस्ताक्षर

वाईएसके० सुकुमार
मुख्य वन (संरक्षक/नोडल अधिकारी)
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
उ० प्र०, लखनऊ।

नाम और पद नाम

सरकारी मोहर